भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की 423वीं आरजीपी बैठक का कार्यवृत्त

स्थान - तक्षशिला सम्मेलन कक्ष, एनएमए

दिनांक एवं समय- 29 जनवरी, 2024 अपराह्न 02:30 बजे

******

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया;

1. प्रोफेसर किशोर के. बासा अध्यक्ष, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण ***अध्यक्ष***
2. श्री टी.एन. तिवारी, पूर्णकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
3. श्री हेमराज आर कामदार, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (*वस्तुतः उपस्थित हुए*)
4. प्रो. के. कैलाश राव, पीटीएम, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (*वस्तुतः उपस्थित हुए*)
5. श्री भास्कर वर्मा, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
6. कर्नल सव्यसाची मारवाहा, निदेशक, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

<u>कार्यसूची 01</u>

422वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

<u>कार्यसूची 02</u>

<u>मामला संख्या: 01</u>

(श्री मिथुन एचआर, सी/ओ एचआर श्रीरंगा राजू, #जी2, श्रीवरा कृष्णा, तीसरा मेन वीवी मोहल्ला, वीटीसी मैसूर, पीओ वाणी विलास मोहल्ला, उप जिला- मैसूर, कर्नाटक-570002)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को इस टिप्पणी के साथ **वापस भेजने** का निर्णय लिया कि स्व-घोषणा में प्रस्तावित निर्माण स्थल के पते का उल्लेख नहीं किया गया था।

भास्कर वर्मा

आवेदक आवश्यक अनुपालन के बाद सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक के माध्यम से प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत करे।

मामला संख्या : 02

(श्री मिथुन एचआर, सी/ओ एचआर श्रीरंगा राजू, #जी2, श्रीवरा कृष्णा, तीसरा मेन वीवी मोहल्ला, वीटीसी मैसूर, पीओ वाणी विलास मोहल्ला, उप जिला-मैसूर, कर्नाटक-570002)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को इस टिप्पणी के साथ **वापस भेजने** का निर्णय लिया कि स्व-घोषणा में प्रस्तावित निर्माण स्थल के पते का उल्लेख नहीं किया गया था। आवेदक आवश्यक अनुपालन के बाद सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक के माध्यम से प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत करे।

मामला संख्या : 03

(श्री वीरेश डीए, श्रीमती शिल्पा, श्री नागराज पंडित और श्रीमती शोभा, कुबातुरु-गांव, सोरबा तालुक, जिला-शिवमोग्गा, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) स्व-घोषणा में प्रस्तावित निर्माण स्थल का पता नहीं बताया गया।

ख) भवन योजना में अंकित ऊंचाई दिखाई नहीं दे रही है।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक के माध्यम से प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत करे।

मामला संख्या: 04

(सैय्यद आशिकली बंदेली, ए/501-ए1 फातिमा रेजीडेंसी, भाटा स्कूल के पास, काजल पार्क के सामने, सरखेज रोड, अहमदाबाद, गुजरात)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सी. एस. नं. 2005/6, शाहपुर-2, शीट नंबर 35, अहमदाबाद, गुजरात में कुल **18.00** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+4 मंजिलों के साथ जीएफ = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 4एफ =

121.65 वर्गमीटर, स्टार केबिन = 16.73 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 05</u>

(श्री अब्दुल खादर, थायिल हाउस, नेताजी रोड, मनकुनी, सुल्तान बाथरी, पीओ, वायनाड, केरल-673592)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने इस टिप्पणी के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया कि स्व-घोषणा में प्रस्तावित स्थल का पता गलत दिया गया है। आवेदक सक्षम प्राधिकारी, केरल के माध्यम से सही प्रस्तावित स्थल पते के साथ संशोधित स्व-घोषणा पुन: प्रस्तुत करे।

<u>मामला संख्या: 06</u>

(श्री श्रवण केसी सृष्टि, कोट्टायिल, कयाक्कुम्मौ, पीओ, पनामारम, वायनाड - 670721, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आर. सर्वे नं. 286/8, वार्ड नंबर 08, पनामारम - ग्राम पंचायत में कुल **4.30** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ के साथ जीएफ = 29.25 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 07</u>

(श्रीमती उषा पी., मदाथिल पदाथिल हाउस, कांजीराकोड पीओ, वडक्कनचेरी, त्रिशूर-680590, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आर. सर्वे नं. 357/3-1, 357/6-1, गांव - कांजीराकोड, तालुक - थलापिल्ली में कुल **4.15** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट

मनहर वर्मा

हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ के साथ जीएफ = 114.53 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 08</u>

(श्री जॉय ईएफ, एडकलाथुर हाउस, चौन्नूर, कुन्नमकुलम, पीओ, त्रिशूर- 680517, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आर. सर्वे नंबर 84/3, 85/10, वार्ड नंबर 10 गांव-चौन्नूर, तालुक-कुन्नमकुलम, जिला-त्रिशूर में 10.00 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ = 94.50 वर्गमीटर (मौजूदा), जीएफ = 12.94 वर्गमीटर (प्रस्तावित), 1एफ = 133.72 वर्गमीटर (प्रस्तावित), टेरेस फ्लोर = 17.59 वर्गमीटर (प्रस्तावित) के साथ मौजूदा वाणिज्यिक भवन के भूतल के विस्तार कार्य और पहली मंजिल तथा छततल के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 09</u>

(अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पेरुवनम, चेरप्पू, पीओ, त्रिशूर-680561, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) भवन योजना में प्रस्तावित स्थल का पता और तलक्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है।

ख) संपत्ति के दस्तावेज़ संलग्न नहीं हैं.

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, केरल के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत करे।

मामला संख्या: 10

(श्री उन्नीकृष्णन केके, कालीचथ हाउस, वलप्पाड, पीओ, त्रिप्रयार, त्रिशूर-680567, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नं. 298/3-25, नत्तिका ग्राम पंचायत, नत्तिका गांव, चावक्कड तालुक, त्रिशूर-जिला में कुल **6.18** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ = 92.12 वर्गमीटर, 1एफ = 8.34 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 11

(श्रीमती सजना, नेल्लीपराम्बिल हाउस, वेल्लारक्कड़. पीओ, त्रिशूर-680584, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नं. 625/पीटी3, 625/पीटी5, 625/पीटी6 वेल्लारक्कड़-गांव, कुन्नमकुलम तालुक, कदनगोड़े ग्राम पंचायत, त्रिशूर-जिला में कुल **7.50** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ = 87.97 वर्गमीटर, 1एफ = 46.04 वर्गमीटर, चारदीवारी = 56.40 एलएम सहित तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 12

(श्रीमती द्रोपती बाई नंदा पत्नी श्री कृष्ण कुमार नंदा, इंदिरा जी वार्ड नंबर 02, जिला मंडला, मध्य प्रदेश-481661)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने नजूल शीट नंबर - 21 सी, प्लॉट नंबर-3/1, इंदिरा जी वार्ड नंबर-2, मंडला, मध्य प्रदेश में कुल **4.10** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ के साथ जीएफ = 31.50 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 13</u>

(श्री अमर सिंह पटेल पुत्र श्री प्रेम सिंह पटेल, पुराना बीमा के पास, बीमा वाली गली, गौशपुरा नंबर 1, हजीरा, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) स्व-घोषणा में प्रस्तावित स्थल का अधूरा पता अंकित है।
ख) भवन योजना में प्रस्तावित स्थल का पता अंकित नहीं है।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करते हुए आवेदक सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश के माध्यम से प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करे।

<u>मामला संख्या: 14</u>

(श्रीमती प्रमीला चौहान पत्नी श्री अशोक चौहान, मकान नं. 96, न्यू कालोनी नं. 2, बिरला नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) भवन की ऊंचाई अधिकतम 7.50 मीटर तक सीमित होनी चाहिए। (सभी को शामिल करते हुए)।

ख) निर्माण के प्रस्तावित स्थल का संपत्ति दस्तावेज संलग्न नहीं है।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करते हुए आवेदक सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश के माध्यम से प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करे।

<u>मामला संख्या: 15</u>

(श्रीमती सुषमा खरे पत्नी श्री राजीव श्रीवास्तव, 92 खेड़ापति कालोनी, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474002)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मकान नंबर 9/2, खेड़ापति कॉलोनी, जिला - ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474002 में कुल **11.50** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+2 मंजिलों के साथ जीएफ = 68.42 वर्गमीटर, 1एफ = 2एफ = 67.12 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 16</u>

(श्री रोशन लाल कुमावत पुत्र श्री भागीरथ कुमावत, 04 संख्या 4, लांजी, तहसील-लांजी, जिला-बालाघाट, मध्य प्रदेश-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पटवारी हल्का नंबर 19/60, खसरा नंबर 43/1/10/1/2, गांव-लांजी, हल्का और तहसील-लांजी, जिला-बालाघाट, मध्य प्रदेश में कुल **7.20** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ = 1एफ = 62.10 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की

सिफारिश करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 17</u>

(मत्स्य पालन विभाग के आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार, तारापोरेवाला एक्वेरियम, चर्नी रोड, मुंबई - 400002, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद विजयदुर्ग समुद्र तट पर सड़क के स्तर से लगभग मीटर 5तक 80 मीटर कीलंबाई और मीटर की चौड़ाई 25 का वर्गमीटर 2000 तलक्षेत्र और सीसी रिटेनिंग वॉल के साथ जेट्टी के निर्माण (बोट यार्ड) घाट/की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। प्रस्तावित कार्य विनियमित क्षेत्र में कराये जाने हैं। सक्षम प्राधिकारीमहाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित , नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को कार्य करते समय स्थानीय भवनउपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 18</u>

(श्री वी गुबेंद्रकुमार और श्री वी. रामचंद्रन, दरवाजा नंबर 5/466, डॉ. जे जे नगर पश्चिम, 5वां ब्लॉक, मोगाप्पैर, चेन्नई-600037)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नंबर 3/2ए2, वेलाचेरी गांव, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में कुल **13.65** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ स्टिल्ट+3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट फ़्लोर क्षेत्र=119.20 वर्गमीटर, 1एफ=2एफ=3एफ=119.75 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 19

(श्रीमती इंदुमती यादव पत्नी श्री खरपति यादव, स-14/7बी, बरईपुर सारनाथ, वाराणसी-221007, उत्तर प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आर्ज़ी नंबर 418/1, मौजा-बरईपुर, परगना, शिवपुर, वाराणसी में कुल **09.40** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+2 मंजिलों के साथ जीएफ =1एफ = 191.82 वर्गमीटर, 2एफ = 136.87 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

अतिरिक्त कार्यसूची

मामला संख्या: 20

(श्री प्रवीण कुमार, ई-32, हौज़ खास एन्क्लेव, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर ई-32, हौज खास एन्क्लेव, नई दिल्ली में 17.97 मीटर (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) की कुल ऊंचाई के साथ बेसमेंट+जीएफ+3 मंजिलों के साथ बेसमेंट=जीएफ=1एफ=2एफ=3 एफ=125.39 वर्गमीटर, बेसमेंट की गहराई=4.00 मीटर के साथ तलक्षेत्र के वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश करने** का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 21

(श्रीमती त्रिशला जैन, प्लॉट नंबर-डी1/ए, ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर-डी1/ए, ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली में 17.99 मीटर (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) की कुल ऊंचाई के साथ बेसमेंट+जीएफ+3 मंजिलों के साथ जीएफ=1एफ=2एफ=3एफ=244.08 वर्गमीटर, बेसमेंट=208.59 वर्गमीटर, बेसमेंट की गहराई=3.88 मीटर के साथ तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश करने** का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या:22

(मैसर्स यूनिक वर्ल्ड रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक श्री कनव गुप्ता, सी-58, मिलन अपार्टमेंट, वेस्ट एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली के माध्यम से)

नए आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर 10, खसरा नंबर 675/153, 676/153, 677/154, 678/154 का पार्ट, आबादी गुड़की मंडी, राजपुर छावनी, दिल्ली में 18.00 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ बेसमेंट+स्टिल्ट+जीएफ+3 मंजिलों के साथ बेसमेंट=स्टिल्ट=जीएफ=1एफ=2एफ=371.879 वर्गमीटर, 3एफ=219.893 वर्गमीटर, बेसमेंट की गहराई=3.70 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश **करने** का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 23

(श्री रणजीत कुमार, निर्माण एवं डिज़ाइनर सेवा इकाई-5, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने केंद्रीय संरक्षित स्मारक यानी कचेरी कब्रिस्तानकानपुर , की अनुमोदित धरोहर उपविधियों रिपोर्ट को (एचआईए) और विरासत प्रभाव आकलन (एचबीएल) ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

(क)आवेदक मल्टीलेवल पार्किंग के प्रस्तावित निर्माण को केंद्रीय संरक्षित स्मारक अर्थात कचेरी कब्रिस्तानपु/कानपुर के विनियमित क्षेत्र से बाहर रखकर स्थानांतरित ,न डिज़ाइन करे :ताकि यह एएमएएसआर 2010 ,अधिनियम (संशोधन और विधिमान्य)के प्रावधानों को आकर्षित न करे क्योंकि जैसा कि एचआईए रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रस्तावित भवन का 82 प्रतिशत विनियमित क्षेत्र से बाहर है ;***या***

(ख)आवेदक को केंद्रीय संरक्षित स्मारक अर्थात कचेरी कब्रिस्तानका ,नपुर के अनुमोदित धरोहर उपविधियोंहोगा और सक्षम मीटर तक सीमित करना 15 के अनुरूप ऊंचाई को (एचबीएल) लखनऊ के माध्यम से संशोधित भवन योजना के साथ प्रस्ताव फिर से जमा करना ,प्राधिकारी होगा।